न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम नई राज्यास तहसील फुलियाकलां

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 50/2019 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 प्रहलाद उर्फ दुर्गा शंकर पिता जगदीश ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी आमली कालु सिंह तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा मृतक के विधिक वारिसान–

1/1 नीरज पिता दुर्गा शंकर ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी आमली कालु सिंह तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

1/2 धीरज पिता दुर्गा शंकर ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी आमली कालु सिंह तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

1/3 शीलादेवी पत्नि दुर्गा शंकर ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी आमली कालु सिंह तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

.... **प्रार्थीगण**

बनाम

1 मुकेश पिता महावीर शर्मा उम्र–वयस्क निवासी आमली कालु सिंह तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

2 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा

..... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री सुनिल कुमार शर्मा
श्री हितेश शर्मा –––अधिवक्ता प्रार्थी
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

निर्णय

दिनांक 24.11.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 21.05.2019 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार ग्राम आमली कालुसिंह पटवार मण्डल कनेछनखुर्द तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 124 के आराजी संख्या 63 रकबा 1.33 हैक्ट. प्रार्थीगण के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण शुरूआत से अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगणों द्वारा रूकावट उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षीगणों की आराजी संख्या 64, 66, 1539/66, 67 में से 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व की आराजी संख्या 64, 66, 1539/66, 67 में से 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 21.05.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें।

सहायक कलेक्टर एवं

इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम नई राज्यास दिनांक 24.11.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा विहित समयावधी में जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से विरूद्ध विपक्षीगण संख्या 01, 02 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। शिविर में उपस्थित प्रार्थीगण पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 03 की सपठित धारा 151 जा.दी. बाद परीक्षण मंजूर कर, मृतक प्रार्थी के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने की आज्ञा पारित की गई, नवीन पक्षकारान प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार शर्मा द्वारा पावर प्रस्तुत किया तथा प्रार्थीगण पक्ष ने अपने अभिवचनों से प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण में भू.अ.निरीक्षक कनेछनकलां द्वारा प्रस्तुत नवीन रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें रास्ता कायमी हेतु ग्राम आमली कालूसिंह स्थित बिलानाम आराजी संख्या 64 रकबा 0.36 हैक्टे. में से 0.0208 हैक्टे. (208 वर्गमीटर), आराजी संख्या 66 रकबा 0.31 हैक्टे. में से 0.0320 हैक्टे. (320 वर्गमीटर), आराजी संख्या 67 रकबा 0.75 हैक्टे. में से 0.01 हैक्टे. (100 वर्गमीटर) एवं अप्रार्थी संख्या 01 की आराजी संख्या 1539/66 रकबा 0.50 हैक्टे. में से 0.0152 हैक्टे. (152 वर्गमीटर) कुल रकबा 0.078 हैक्ट. सुगमतम एवं निकटतम प्रस्तावित किया गया है। अप्रार्थीगण को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) की स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। भू.अ.निरीक्षक कनेछनकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को आराजी संख्या 64, 66, 1539/66, 67 में से 0.078 हैक्टे. का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए आराजीयात में से रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थी को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है। दूसरी ओर अप्रार्थीगणो ने प्रार्थनापत्र में खण्डन स्वरूप जवाब प्रस्तुत नही किया है, जिससे न्यायालय यह विचार करें कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थीगणों को कोई भारी क्षति होगी।

पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थीगण की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु भू.अ. निरीक्षक कनेछनकलां द्वारा ग्राम आमली कालूसिंह स्थित बिलानाम आराजी संख्या 64 रकबा 0.36 हैक्टे. में से 0.0208 हैक्टे. (208 वर्गमीटर), आराजी संख्या 66 रकबा 0.31 हैक्टे. में से 0. 0320 हैक्टे. (320 वर्गमीटर), आराजी संख्या 67 रकबा 0.75 हैक्टे. में से 0.01 हैक्टे. (100 वर्गमीटर) एवं अप्रार्थी संख्या 01 की आराजी संख्या 1539/66 रकबा 0.50 हैक्टे. में से 0.0152 हैक्टे. (152 वर्गमीटर) कुल रकबा 0.078 हैक्ट. निकटतम एवं सुविधाजनक प्रस्तावित नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम आमली कालूसिंह पटवार हल्का क्षेत्र कनेछनखुर्द स्थित बिलानाम आराजी संख्या 64 रकबा 0.36 हैक्टे. में से 0.0208 हैक्टे. (208 वर्गमीटर), आराजी संख्या 66 रकबा 0.31 हैक्टे. में से 0.0320 हैक्टे. (320 वर्गमीटर), आराजी संख्या 67 रकबा 0.75 हैक्टे.

सहायक कलक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
कपासन (चित्तौड़.)

(फ्लोमीटर चौड़ा रास्ता)

में से 0.01 हैक्टे. (100 वर्गमीटर) एवं अप्रार्थी संख्या 01 की आराजी संख्या 1539/66 रकबा 0.50 हैक्टे. में से 0.0152 हैक्टे. (152 वर्गमीटर) कुल रकबा 0.078 हैक्ट. भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 (आराजी संख्या 64, 66, 67 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0628 हैक्टेयर मालियत राशि की **दोगुनी राशि 14,422/– रूपये** (0.0628 हैक्टयर की) राज्य कोष में तथा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में मालियत राशि की **तिगुनी राशि 5,236/– रूपये** (0.0152 हैक्टयर की) अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम नई राजयास के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी फुलियाकला

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकला जिला भीलवाड़ा

नोट :- नक्शा आदेश के साथ संलग्न करें।